



प्रवेश कुमार सिंह
असि० प्रो० समाजशास्त्र
शहीद स्मारक राजकीय महाविद्यालय युसूफपुर मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।

सारांश—डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार ने सामाजिक संरचना और विकास की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित किया है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के तीव्र विस्तार ने समकालीन समाज की सामाजिक संरचना एवं विकास प्रक्रियाओं को गहराई से पुनर्गठित किया है। विशेष रूप से 2015 के पश्चात भारत में डिजिटल अवसंरचना, इंटरनेट पहुँच तथा मोबाइल तकनीक के प्रसार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। तथापि, यह विस्तार समान रूप से समावेशी नहीं रहा है। ग्रामीण भारत में विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में डिजिटल साक्षरता का स्तर आज भी अपेक्षाकृत निम्न बना हुआ है, जो स्पष्ट रूप से लैंगिक डिजिटल विभाजन को इंगित करता है।

यह शोध-पत्र ग्रामीण महिलाओं की डिजिटल साक्षरता एवं उनके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के बीच अंतर्संबंध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, शिक्षा का सीमित स्तर, आर्थिक निर्भरता तथा डिजिटल कौशल की कमी ग्रामीण महिलाओं के डिजिटल समावेशन में प्रमुख बाधाएँ हैं। यद्यपि डिजिटल साक्षरता महिलाओं की हमदबल, निर्णय-क्षमता तथा अवसरों तक पहुँच को बढ़ाने की क्षमता रखती है, परंतु जब तक संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक यह तकनीकी प्रगति वास्तविक सशक्तिकरण में रूपांतरित नहीं हो सकती। डिजिटल साक्षरता को केवल तकनीकी क्षमता के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन एवं लैंगिक समानता के व्यापक ढाँचे में समझना आवश्यक है।

मुख्य शब्द— डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल विभाजन, ग्रामीण भारत, लैंगिक असमानता, सामाजिक परिवर्तन

प्रस्तावना—

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आज के युग में सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली साधन बन चुकी है। वैश्वीकरण और डिजिटल क्रांति ने न केवल संचार के तरीकों को बदला है, बल्कि शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों की संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया है। भारत में इस परिवर्तन को संस्थागत रूप देने के लिए वर्ष 2015 में डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका



उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया गया। तथापि, इस डिजिटल विस्तार की प्रक्रिया समान रूप से समावेशी नहीं रही है। 2018 के विभिन्न राष्ट्रीय एवं संस्थागत आंकड़ों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि डिजिटल पहुँच में वृद्धि के बावजूद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तथा विशेषकर पुरुष और महिला उपयोगकर्ताओं के बीच एक स्पष्ट डिजिटल विभाजन विद्यमान है। भारत में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में ग्रामीण हिस्सेदारी लगभग 20 से 25 प्रतिशत के बीच अनुमानित है, जबकि महिलाओं की डिजिटल भागीदारी पुरुषों की तुलना में लगभग आधी पाई गई। यह स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में और अधिक गंभीर हो जाती है, जहाँ डिजिटल संसाधनों तक पहुँच सीमित, अनियमित और असमान रही है।


समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह असमानता केवल तकनीकी पहुँच की समस्या नहीं है, बल्कि यह संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक कारकों से गहराई से जुड़ी हुई है। ग्रामीण भारत में आज भी पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना महिलाओं की गतिशीलता, निर्णय क्षमता और संसाधनों तक पहुँच को सीमित करती है। इसके साथ ही शिक्षा का निम्न स्तर, आर्थिक निर्भरता और डिजिटल कौशल की कमी महिलाओं को डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग से वंचित रखती है। विश्व बैंक 2018 की रिपोर्ट भी यह संकेत देती है कि विकासशील देशों में डिजिटल लिंग अंतर सामाजिक असमानताओं को और अधिक पुनरुत्पादित करता है।

डिजिटल साक्षरता आज के समय में केवल तकनीकी कौशल नहीं रह गई है, बल्कि यह महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। यह कथन कि "डिजिटल साक्षरता महिलाओं की क्षमताओं को बढ़ाकर उन्हें बेहतर विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देती है" समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे तौर पर क्षमता दृष्टिकोण और सशक्तिकरण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों जैसे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि का प्रभावी उपयोग करना। जब महिलाएँ डिजिटल रूप से साक्षर होती हैं, तो वे केवल उपभोक्ता नहीं रहतीं, बल्कि सूचना की सक्रिय भागीदार बन जाती हैं।

डिजिटल साक्षरता महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सरकारी योजनाओं और कानूनी अधिकारों से जुड़ी जानकारी तक सीधी पहुँच प्रदान करती है। पहले जहाँ ग्रामीण महिलाएँ सीमित जानकारी पर निर्भर रहती थीं, वहीं अब वे इंटरनेट के माध्यम से स्वयं जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। सूचना की उपलब्धता के कारण महिलाएँ अपने जीवन से जुड़े निर्णय अधिक समझदारी और आत्मविश्वास के साथ ले सकती हैं। जैसे शिक्षा का चयन, स्वास्थ्य उपचार, बच्चों की पढ़ाई, या रोजगार के अवसरों का चुनाव। यह उन्हें पारंपरिक निर्भरता से बाहर निकालकर स्वायत्त निर्णय क्षमता प्रदान करता है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल बैंकिंग, और सोशल मीडिया महिलाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर खोलते हैं। वे घर बैठे उत्पाद बेच सकती हैं, फ्रीलांस काम कर सकती हैं और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। डिजिटल माध्यमों से महिलाएँ अपने अधिकारों, कानूनों और सरकारी योजनाओं के प्रति अधिक जागरूक होती हैं। इससे घरेलू हिंसा, भेदभाव और अन्य सामाजिक समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता बढ़ती है। डिजिटल साक्षरता महिलाओं को समाज में अपनी बात रखने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देती है। यह उनके आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान को मजबूत करती है।

इस प्रकार, डिजिटल साक्षरता महिलाओं के जीवन में केवल तकनीकी बदलाव नहीं लाती, बल्कि यह उनकी क्षमताओं, अवसरों और स्वतंत्रता को व्यापक रूप से बढ़ाती है। यह उन्हें सीमित विकल्पों से बाहर निकालकर एक व्यापक विकल्प-समूह प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन के बेहतर निर्णय स्वयं ले सकती हैं और एक सशक्त, आत्मनिर्भर तथा सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर होती हैं।



2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में इंटरनेट उपयोग में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही थी। कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में ग्रामीण उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक पहुँच चुकी थी, जो यह दर्शाता है कि डिजिटल तकनीक अब केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण समाज में भी इसका विस्तार हो रहा था। इसी अवधि में यदि लिंग आधारित डिजिटल भागीदारी को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत थी। यह आँकड़ा यह संकेत देता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएँ अभी भी डिजिटल पहुँच में पीछे थीं, किंतु धीरे-धीरे उनकी भागीदारी में वृद्धि हो रही थी। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 2018 तक भारत में डिजिटल विभाजन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसमें कमी आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि सरकारी योजनाएँ, सस्ते डेटा पैक, और मोबाइल फोन की उपलब्धता ने डिजिटल पहुँच को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



डिजिटल युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया है। विशेषकर डिजिटल साक्षरता ने व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण समुदायों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। डिजिटल साक्षरता का तात्पर्य केवल इंटरनेट या मोबाइल का उपयोग करना नहीं है, बल्कि डिजिटल माध्यमों के प्रभावी, सुरक्षित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग की क्षमता से है। इसका सीधा संबंध सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों से जुड़ता है, जिनमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण प्रमुख हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण—डिजिटल साक्षरता ने आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। आज डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग जैसे अवसरों ने लोगों के लिए आय अर्जित करने के नए साधन उपलब्ध कराए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ भी अब मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। इसके साथ ही, कई महिलाएँ ऑनलाइन छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प बिक्री और स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। हालाँकि, कौशल की कमी, डिजिटल प्रशिक्षण का अभाव और तकनीकी जानकारी की सीमित उपलब्धता के कारण इन लाभों का पूर्ण उपयोग सभी तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण सीमित रह जाता है।

सामाजिक सशक्तिकरण— डिजिटल साक्षरता ने सामाजिक सशक्तिकरण को भी नई दिशा प्रदान की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल माध्यमों के द्वारा लोग सूचनाओं, विचारों और अनुभवों को साझा कर रहे हैं। इससे सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई है। विशेषकर महिलाओं को सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त हो रही है। डिजिटल माध्यमों ने सामाजिक बाधाओं को कुछ हद तक कम किया है और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता की है। हालाँकि, गलत सूचना और डिजिटल असमानता जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

राजनीतिक सशक्तिकरण—

डिजिटल साक्षरता ने राजनीतिक भागीदारी को भी प्रभावित किया है। सूचना तक आसान पहुँच ने नागरिकों को सरकारी नीतियों, योजनाओं और अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ई-गवर्नेंस सेवाओं ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया है। इससे नागरिकों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है, जिससे लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को बल मिला है।



इस प्रकार, डिजिटल साक्षरता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह न केवल अवसरों का विस्तार करती है, बल्कि समाज में समानता और सहभागिता को भी बढ़ावा देती है। तथापि, इसके पूर्ण लाभ के लिए डिजिटल कौशल विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ताकि डिजिटल विभाजन को कम किया जा सके और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

डिजिटल सशक्तिकरण की प्रमुख बाधाएँ

वर्तमान समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने समाज के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से सोशल मीडिया, ने संचार, शिक्षा, रोजगार और सूचना के आदान-प्रदान के नए अवसर प्रदान किए हैं। तथापि, इन अवसरों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कई संरचनात्मक, सामाजिक एवं आर्थिक बाधाएँ डिजिटल समावेशन में अवरोध उत्पन्न करती हैं। ये बाधाएँ न केवल तकनीकी पहुँच को सीमित करती हैं, बल्कि व्यक्तियों की मानसिकता, व्यवहार और सहभागिता को भी प्रभावित करती हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बाधा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना है। भारतीय ग्रामीण समाज में पितृसत्ता एक गहरे जड़ जमाए हुए सामाजिक तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिसमें पुरुषों को प्रमुख निर्णयकर्ता के रूप में देखा जाता है और महिलाओं की भूमिका सीमित कर दी जाती है। यह संरचना केवल पारिवारिक संबंधों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि संसाधनों के वितरण, शिक्षा के अवसरों और तकनीकी पहुँच को भी नियंत्रित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं और किशोरियों को मोबाइल फोन या इंटरनेट के उपयोग पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया के उपयोग को कई बार नैतिकता और "परिवार की प्रतिष्ठा" से जोड़कर देखा जाता है, जिससे महिलाओं की डिजिटल भागीदारी बाधित होती है। इस प्रकार, पितृसत्ता डिजिटल असमानता को बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है।

दूसरी महत्वपूर्ण बाधा शिक्षा एवं डिजिटल कौशल की कमी है। डिजिटल साक्षरता केवल तकनीकी उपकरणों को संचालित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सूचना का सही मूल्यांकन, साइबर खतरों की पहचान और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की समझ भी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के निम्न स्तर के कारण लोग डिजिटल माध्यमों का उपयोग तो करते हैं, परंतु उनके उपयोग के प्रति जागरूकता का अभाव रहता है। परिणामस्वरूप, वे फेक न्यूज, साइबर धोखाधड़ी और गलत सूचना के शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, चर्चा या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राप्त संदेशों को बिना सत्यापन के



सही मान लेना डिजिटल कौशल की कमी को दर्शाता है। इस प्रकार, डिजिटल विभाजन अब केवल पहुँच का नहीं, बल्कि कौशल आधारित असमानता का रूप ले चुका है।

तीसरी बाधा आर्थिक निर्भरता है, जो डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता को सीधे प्रभावित करती है। स्मार्टफोन, इंटरनेट डेटा और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए नियमित आर्थिक निवेश की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय स्तर और बेरोजगारी के कारण कई परिवार इन संसाधनों को प्राथमिकता नहीं दे पाते। विशेष रूप से महिलाएँ, जो आर्थिक रूप से आश्रित होती हैं, डिजिटल उपकरणों का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर पातीं। कई परिवारों में एक ही मोबाइल फोन होता है, जिसका नियंत्रण पुरुष सदस्य के पास रहता है। इस प्रकार, आर्थिक निर्भरता डिजिटल बहिष्करण को जन्म देती है और सामाजिक असमानताओं को और गहरा करती है।

चौथी बाधा डिजिटल अवसंरचना की कमी है। यद्यपि सरकार द्वारा "डिजिटल इंडिया" जैसी योजनाओं के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की गुणवत्ता, नेटवर्क कवरेज और बिजली आपूर्ति की समस्याएँ बनी हुई हैं। वाराणसी के आसपास के कई गाँवों में आज भी इंटरनेट की गति धीमी है या नेटवर्क अस्थिर रहता है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस सेवाओं और डिजिटल लेन-देन का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता। यह स्थिति डिजिटल समावेशन की प्रक्रिया को बाधित करती है और ग्रामीण-शहरी विभाजन को और स्पष्ट करती है।

अंततः, साइबर सुरक्षा की चिंता भी एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उभरकर सामने आती है। डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ साइबर अपराधों, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग आदि की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन खतरों के प्रति जागरूकता का अभाव होने के कारण लोग भय और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, वे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से बचते हैं या सीमित रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए, न्यू फ्रॉड या फर्जी कॉल के मामलों ने कई लोगों को ऑनलाइन लेन-देन से दूर कर दिया है। इस प्रकार, साइबर सुरक्षा से जुड़ा भय डिजिटल बहिष्करण का एक मनोवैज्ञानिक कारण बन जाता है।

समग्र रूप से देखा जाए तो ये सभी बाधाएँ एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था शिक्षा और आर्थिक अवसरों को प्रभावित करती है, जिससे डिजिटल कौशल और संसाधनों तक पहुँच सीमित हो जाती है। वहीं, अवसंरचना की कमी और साइबर सुरक्षा के प्रति भय इन समस्याओं को और जटिल बना देते हैं। अतः, इन बाधाओं का समाधान केवल तकनीकी उपायों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा में सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। डिजिटल सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो केवल तकनीक के प्रसार तक



सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास से गहराई से जुड़ी हुई है। यदि इन बाधाओं को दूर करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएँ, तो डिजिटल क्रांति का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचाया जा सकता है और एक अधिक समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है।

आलोचनात्मक विश्लेषण—

भारत सरकार द्वारा संचालित “डिजिटल इंडिया” पहल ने देश में डिजिटल पहुँच के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन की उपलब्धता तथा डिजिटल सेवाओं के प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल दायरे में लाने का प्रयास किया गया। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के विकास ने सूचना और संचार के नए अवसर प्रदान किए हैं।

किन्तु, इस पहल का आलोचनात्मक विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आता है कि डिजिटल पहुँच बढ़ाने के साथ-साथ डिजिटल उपयोग और डिजिटल कौशल के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। केवल तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता यह सुनिश्चित नहीं करती कि लोग उनका प्रभावी, सुरक्षित और उत्पादक उपयोग कर पाएँगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक लोग स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुँच तो रखते हैं, परंतु उन्हें इनका समुचित उपयोग, सूचना का मूल्यांकन तथा साइबर सुरक्षा के उपायों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। इस स्थिति को “डिजिटल विभाजन” के नए स्वरूप के रूप में समझा जा सकता है, जहाँ असमानता केवल पहुँच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उपयोग और कौशल के स्तर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। परिणामस्वरूप, डिजिटल तकनीकों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ बनी रहती हैं।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल तकनीकी विस्तार डिजिटल सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके साथ-साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन भी अनिवार्य है। जब तक समाज में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, डिजिटल साक्षरता का प्रसार नहीं होगा और पारंपरिक सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक डिजिटल पहल अपने पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएँगी। इसलिए आवश्यक है कि डिजिटल नीतियों में “समावेशी दृष्टिकोण” अपनाया जाए, जिसमें तकनीकी विकास के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, कौशल विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन को भी समान महत्व दिया जाए। तभी डिजिटल भारत की परिकल्पना वास्तव में साकार हो सकेगी।



संदर्भ सूची-

1. Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
2. Government of India. (2015). *Digital India Programme*. Ministry of Electronics and Information Technology.
3. Gurumurthy, A. (2004). *Gender and ICTs: Overview report*. BRIDGE, Institute of Development Studies.
4. Hafkin, N., & Huyer, S. (2007). Women and gender in ICT statistics and indicators. *Information Technologies & International Development*, 4(2), 25-41.
5. Hilbert, M. (2011). Digital gender divide or technologically empowered women in developing countries? *Women's Studies International Forum*, 34(6), 479-489.
6. International Telecommunication Union (ITU). (2017). *Measuring the information society report 2017*. ITU.
7. James, J. (2008). *Digital divide across all citizens of the world: A new concept*. Edward Elgar Publishing.
8. Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435-464.
9. National Sample Survey Office (NSSO). (2014). *Key indicators of household social consumption on education in India*. Ministry of Statistics and Programme Implementation.
10. Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide*. Cambridge University Press.
11. Sen, A. (2001). *Development as freedom*. Oxford University Press.
12. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). (2017). *Annual report 2016-17*. TRAI.
13. United Nations Development Programme (UNDP). (2015). *Human development report 2015*. UNDP.
14. World Bank. (2016). *World development report 2016: Digital dividends*. World Bank Publications.